Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बूंदी

मनोहर लाल बनाम अधिशाषी अभियंता ज.वि.वि.नि.लि.

किस्म मुकदमा 43/प्र.4म/2017 नं. सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
14.6.17	वकील प्रार्थी उप० वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। कार्यवाही के संबंध में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी स्वामित्व एवं कब्जे की कृषि भूमि खाता सं. 615 की ख.सं. 1041 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा, ख.सं. 1042 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, ख.सं. 2000/1040 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, ख.सं. 2008/1044 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, किता-4 रकबा 40 बीघा 5 बिस्वा एवं खाता सं. 617 की भूमि ख.सं. 1063 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा, ख.सं. 1064 रकबा 7 बीघा 19 बि. ख.सं. 1090 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा, ख.सं. 2001/1040 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, ख.सं. 2032/1068 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा ग्राम छत्रपुरा में स्थित है। प्रार्थी उक्त आराजी में गेहूं की फसल व गरड़ा की खेती करता है। जिसमें चावल की फसल करते समय मजदूर पानी से भरे हुये खेत में चावल लगाने का काम करते है एवं गेहूं की फसल करते समय भी पानी पिलाने का कार्य करते है प्रार्थी दिनांक 8.6.17 को अपने खेत पर गया तो देखा कि अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख.सं. 1041/1042 के मध्य से विद्युत पोल गाड़ कर ख.सं. 1063 के स्वामी को विद्युत कनेक्शन देने का प्रयास कर रहे है प्रार्थी ने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कनेक्शन उपलब्ध करवाने हेतु विद्युत लाईने स्थापित करना व उन्हें हटाना, उनके फेरबदल करने का अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थीगण ने कोई नुकसान नही पहुंचाया है। प्रार्थी का प्रा. पत्र खारिज किया जावे।	
	हमने वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा की गई कार्यवाही नियमो के तहत की गई है। प्रार्थी को कोई नुकसान नही पहुंचाया है। प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष मे नही है ना ही प्रार्थी ने सुविधा का संतुलन साबित किया है। अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार मूल वाद के संलग्न हो।	